फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण

किस्म मुकदमा :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–...37/2020

अनवान तहसीलदार बनाम हीराराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हक हुक्म की तामील में जारी हुए
11.02.2020	तहसीलदार उपस्थित। प्रार्थी तहसीलदार जैतारण ने प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 LR Act, 1956 के तहत् पेश किया। प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा–लौटोती, पटवार हल्का लौटोती, तहसील–जैतारण में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 709/1207 जमाबन्दी सेग्रीगेशन कार्य को पूर्ण करने एवं नक्शे में दर्ज खसरा नम्बरों का वन टू वन मिलान के मध्य जिन खसरो मे रिकार्ड मौका तथा नक्शे में भिन्नता आ रही हैं यथा खातेदारों के अलग अलग खसरों नम्बरों की सीमाओं में अन्तर हैं तथा नक्शा अनुरूप खसरों का रकबा मिलान नही होता हैं। ऐसे खसरा नम्बरों के नक्शे की सीमाओं में दुरूस्ती प्रस्ताव निम्नानुसार सेवा में पेश हैं। ग्राम लौटोती पटवार हल्का लौटोती तहसील जैतारण जिला पाली (राज.) के खसरा नम्बर 709/1207 रकबा 4–02 बीघा खातेदारान् का आवेदन मय रिकार्ड की सत्यप्रतिलिपि पेश कर निवेदन हैं कि निम्नानुसार रिकार्ड दुरस्ती का आदेश प्रदान करने की कृपा करावें। प्रस्तुत प्रा. पत्र एवं मय रिकार्ड की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार का प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर हो। पटवारी हल्का लौटोती द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में उल्लेख किया कि अप्रार्थी हिराराम पुत्र बगताराम का मौके पर राजस्व रेकर्ड अनुसार ग्राम लौटोती के खसरा नम्बर 709/1207 रकबा 04–02 बीघा पर कब्जा न होकर खसरा नम्बर 479/1207 में रकबा 04–02 बीघा पर कब्जा काश्त हैं। इस प्रकार राजस्व रेकर्ड एवं मौका स्थिति में भिन्नता हैं। इस संबंध में अप्रार्थी हिराराम ने भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त भिन्नता के निवारण हेतु खसरा दुरूस्ती हेतु निवेदन किया। जिसकी जांच भू.अ.निरीक्षक द्वारा की जाकर प्रार्थी तहसीलदार जैतारण ने वास्ते दुरूस्ती प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रार्थी तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट एवं अप्रार्थी हिराराम द्वारा पेश आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तो पाया कि अप्रार्थी हिराराम का मौके पर कब्जा काश्त ग्राम लौटोती के खसरा नम्बर 709/1207 रकबा 04–02 बीघा में न होकर खसरा नम्बर 479/1207 भूमि पर स्थित हैं। इस प्रकार मौका व राजस्व रेकर्ड में भिन्नता होनी पाई गई। जिसके निवारण के लिए खसरा नम्बर 709/1207 के बजाय 479/1207 की दुरूस्ती किया जाना उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी तहसीलदार का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता हैं। मौजा–लौटोती पटवार हल्का लौटोती तहसील जैतारण में स्थित भूमि ख.न. 709/1207 जमाबन्दी में खातेदारान् के नाम दर्ज हैं। पटवारी हल्का–लौटोती, भू.अ.निरीक्षक निम्बोल एवं तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं रिकॉर्ड के अनुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं, जिसे प्रस्तावित प्रस्ताव अनुसार खसरा दुरूस्त कर खसरा नम्बर 709/1207 रकबा 04–02 बीघा के स्थान पर खसरा नम्बर 479/1207 रकबा 04–02 बीघा का इन्द्राज दुरूस्ती के आदेश दिये जाते हैं। खातेदारों के नाम, हक हिस्सा की प्रविष्टियां बदस्तूर जारी रहेगी, तथा कोई भी खातेदार इस बाबत् किसी भी समय संबंधित सक्षम न्यायालय से अगर उचित समझे तो अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र रहेगा, तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। पृथक से आदेश जारी हो जो पत्रावली का भाग होगा, आदेश एवं तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रेषित प्रस्ताव जो इस निर्णय का भाग होगा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो। उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण	187 13/2/20

Scanned by CamScanner

क्रमांक/कोर्ट/2020/   दिनांक :-............

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या.....37......./2020   निर्णय दिनांकः-12/02/2020

अनवान   तहसीलदार   बनाम   हिराराम

आदेश

(अंतर्गत धारा 136, 131 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956)

प्रार्थी तहसीलदार जैतारण के खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी, पटवार मण्डल-**लौटोती** व भू.अ. निरीक्षक-**निम्बोल** की रिपोर्ट तथा तहसीलदार जैतारण की अनुशंषा, खातेदारान् की प्रार्थना के आधार पर तहसील क्षैत्र जैतारण में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर एवं राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार भू-अभिलेखों की डिजिटाईजेशन हेतु संचालित DILRMP (डिजिटल इण्डिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम) के अंतर्गत जमाबंदी, नक्शा एवं मौका स्थिति की अनुरूपता के लिए मौका एवं नक्शा की स्थिति में भिन्नता के फलस्वरूप तरमीम कार्य में उत्पन्न अवरोध के निराकरण हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एवं 131 के अनुसरण में ग्राम-**लौटोती**, तहसील-जैतारण, जिला-पाली की जमाबन्दी संवत् 2073-2076 में निम्नलिखित खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। खातेदारान् के नाम, हक हिस्सा एवं रहन की प्रविष्टियां, कुल रकबा एवं भूमि की किस्म अप्रभावित रहते हुए बदस्तूर जारी रहेगी। कोई भी खातेदार किसी भी समय अगर आवश्यक समझे तो संबंधित सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

DILRMP (डिजिटल इण्डिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम) के तहत् खसरा दुरुस्ती करना

नाम ग्राम-लौटोती पटवार मण्डल - लौटोती, भू.अ.नि. - निम्बोल तहसील-जैतारण, जिला-पाली

वर्तमान खाते का विवरण					शुद्धि की प्रविष्टि				
खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	खातेदार का विवरण	खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	खातेदार का विवरण
828	709/1207	04-02	बा.दो.	हीराराम पुत्र बगताराम कौम सरगरा सा.देह खातेदार।	828	479/1207	4-02	बा.दो.	हीराराम पुत्र बगताराम कौम सरगरा सा.देह खातेदार।
योग	1	04-02	बा.दो.		योग	1	04-02	बा.दो.	

नोट :- उपरोक्तानुसार खसरा नम्बर 709/1207 के स्थान पर 479/1207 दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.02.18 12:04:13 IST
Reason: SelfAttested
Location: